न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 177 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 615

1. सांवरमल पिता किशनलाल जैन निवासी सतखण्डा ।

........प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज०

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– अधिवक्ता प्रार्थी – प्रार्थी स्वंय
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 19.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथी प्रार्थी सांवरमल पिता किशनलाल जैन निवासी सतखण्डा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके संयुक्त खातेदारी में ग्राम सतखण्डा में जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077–2080 के खाता संख्या 668 में विरासत से नान्तरकरण दायर करते समय पिता मांगीलाल के बजाय दादा किशनलाल का नाम दर्ज हो गया। प्रार्थीगणो नें पिता का नाम किशनलाल के बजाय मांगीलाल दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणो के पिता कि विरासत दर्ज करने बाबत् ग्राम सतखण्डा में नामान्तरकरण संख्या 1648 दायर किया गया। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में मांगीलाल के वारीसान के नाम सही दर्ज किये गये, लेकिन पिता का नाम मांगीलाल के बजाय किशनलाल सहवन से दर्ज हो गया। अतः प्रार्थीगणो के पिता का नाम राजस्व रेकॉर्ड में किशनलाल के बजाय मांगीलाल दर्ज किया जाना उचित है।

3. ग्राम दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:51:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
सावंरमल बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2024/615
प्रकरण संख्या 177 / 2024

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

4. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है प्रार्थीगणो के पिता कि विरासत दर्ज करने बाबत् ग्राम सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा में नामान्तरकरण संख्या 1648 दायर किया गया। नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में मांगीलाल के वारीसान के नाम सही दर्ज किये गये, लेकिन पिता का नाम मांगीलाल के बजाय किशनलाल सहवन से दर्ज हो गया। अतः प्रार्थीगणो के पिता का नाम राजस्व रेकॉर्ड में किशनलाल के बजाय मांगीलाल दर्ज किया जाना जाना उचित प्रतीत होत है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा नामान्तरकण संख्या 1648 दिनांक 20.01.2011 विरासत से मांगीलाल पिता किशनलाल के फौत हो जाने के बाद उनके वारिसान में पिता मांगीलाल के बजाए किशन लाल दर्ज हो गया जो सम्वत 2067 से 70 की जमाबन्दी व इंन्तकाल नम्बर 1648 में गलत इन्द्राज पाया गया जिसे संशाधित किया जाकर वर्तमान आराजी नम्बर 1498 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1501 रकबा 0.2000, आराजी नम्बर 559 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 560 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 563 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 850 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 947 रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 948 रकबा 0.4600 हैक्टैयर भूमि में किशनलाल महाजन के बजाए मांगीलाल महाजन सा० देह के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:51:25 IST
Reason: SelfAttested